विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–09 का उत्तरः–

प्रश्न	उत्तर
9(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति के क्या प्राविधान है?	अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मृतक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1748/15–08–2022–3009(2022)/2022, दिनांक–24 नवम्बर, 2022 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16छ के अधीन निर्मित विनियमों के अध्याय–3 के विनियम–101 से 107 तक के प्राविधान प्रभावी है।
(ख) क्या उक्त विद्यालयों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति के प्राविधानानुसार उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा नियुक्ति की जा रही है?	जी हॉ।
(ग) यदि हॉ, तो क्या देवीपाटन मंडल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों में स्थित उक्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 एवं 2023–24 में कितने शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कार्यरत रहते हुए आकस्मिक मृत्यु हुई तथा कितने मृतक आश्रितों को उनकी योग्यतानुसार कब–कब अनुकम्पा नियुक्ति दी गयी?	मण्डल देवीपाटन के अन्तर्गत अवस्थित जनपदों में स्थित उक्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 एवं 2023–24 में 31 शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कार्यरत रहते हुए आकस्मिक मृत्यु हुयी थी तथा सभी मृतक कर्मी के आश्रितों को उनकी योग्यतानुसार विभिन्न तिथियों में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है।
(घ) अनुकम्पा नियुक्ति से वंचित मृतक आश्रितों को कब तक नियुक्ति प्रदान करायेंगे?	प्रश्न ही नहीं उठता।

गुलाब देवी
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)